न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ...../2002/ निगरानी

1. राजाबेटी विधवा देशराज
2. रामरतन पुत्र कुँवर राज

निवासीगण – ग्राम जुझाई,
तहसील – करेरा, जिला – शिवपुरी

——— आवेदक गण

बनाम

1. पर्वत पुत्र बैजनाथ
2. भूपत सिंह पुत्र पर्वत सिंह
   निवासी – ग्राम जुझाई
   तहसील – करेरा, जिला – शिवपुरी
3. बारो पत्नी प्रताप सिंह
   निवासी ग्राम जराय
   तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी

——— अनावेदक गण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा – 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता – 1959 विरूद्ध आदेश श्री के.आर. मांगोदिया अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वा. जो कि प्रकरण 244/96–97 अपील व प्र.क्र. 239/96–97 अपील में दिनांक 11.1.2002 को पारित किया गया।

माननीय महोदय,

आवेदक गण का निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में इस प्रकार है कि पर्वत सिंह व राम रतन द्वारा देशराज मृतक के वसीयतनामा दिनांक 20.8.92 के आधार पर ग्राम जुझाई तहसील करेरा जिला शिवपुरी स्थित सर्वे नं. किता 32 रकबा 5.50 हैक्टर में हिस्सा 1/3 पर नामान्तरण चाहा गया। कार्यवाही के दौरान आवदेक राजाबेटी ने मृतक देशराज की विधवा पत्नी व महिला बारो अनावेदक क्रं. 3. ने मृतक देशराज की बहन होने के आधार पर आपत्तियाँ पेश की। तहसीलदार ने रामरतन व पर्वतसिंह के हित में की गई वसीयत को संदिग्ध मानकर अस्वीकार किया। राजाबेटी की आपत्ति इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि वह मृतक देशराज की वैध रूप से विवाहित पत्नी नहीं है। आपत्तिकर्ता बारो को मृतक देशराज की बहन मानते हुये उसके हित में दिनांक 31.9.95 को नामान्तरण का आदेश दिया गया।

.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 398–पीबीआर/2002 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–8–2016	उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के पकरण कमांक 244/96–97 व 239/96–97 में पारित आदेश दिनांक 11–1–02 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे के संबंध में व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया था जिसकी अपील आवेदकगण द्वारा अपर जिला न्यायाधीश करेरा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रकरण कमांक 3अ/03 में पारित आदेश दिनांक 25–8–04 के द्वारा उक्त अपील प्रकरण का निराकरण हो गया है। उक्त आदेश की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के संबंध में अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार विरोध नहीं किया गया। इस न्यायालय में निगरानी व्यवहार अपीलीय न्यायालय के आदेश के पूर्व निगरानी प्रस्तुत की गई थी। चूंकि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय से प्रकरण का निराकरण हो गया है। और व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है तथा व्यवहार न्यायालय के आदेश के कम में ही अधीनस्थ न्यायालय से	

कार्यवाही की जाना है। अतः इस न्यायालय में प्रकरण के प्रचलित रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। आवेदक चाहे तो व्यवहार अपीलीय न्यायालय की प्रति सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर कार्यवाही कराने के स्वतंत्र है। उपरोक्त के प्रकाश में यह निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य